मध्य प्रदेश शासन
स्टेट कंट्रोल रूम
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 136-A अमुस/नघाविवि/निस/2020 दिनांक 24/05/2020

आदेश

राज्य नियंत्रण कक्ष से जारी ई–पास की सुविधा की आवश्यकता में ढील (शिथिलता) प्रदान करते हुए केवल इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन से जाने वाले नागरिकों के लिए ई–पास की सुविधा अनिवार्य की गई है व शेष जिलों में आवागमन के लिये ई–पास की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्य प्रदेश में आ रहे व्यक्तियों को ई–पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।

केन्द्र शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार दिनांक 25 मई 2020 से रेल परिवहन तथा 01 जून 2020 से हवाई परिवहन प्रारंभ किये जाने की अनुमति दी गई है, जिससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को मात्र ई–टिकिट द्वारा ही यात्रा की अनुमति है तथा इसमें आवेदक के सभी विवरण पूर्व से ही दर्ज है। अतः यात्री द्वारा प्राप्त कन्फर्म टिकिट ही अपने निवास से/तक, रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पहुंचने के लिये ई–पास के रूप में मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

Keshari

(आई.सी.पी. केशरी)
अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन एवं
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम

पृष्ठां. क्रमांक 136-B अमुस/नघाविवि/निस/2020 दिनांक 24/05/2020

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग, भोपाल।